प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, राजसमन्द (राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर, वर्ष 2022
प्र.ई.रि.सं. 318/22 दिनांक 18/8/2022

2.–(1) अधिनियम **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018** धारा 7
(2) अधिनियम धारा
(3) अधिनियम धारा.....–.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....–.....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 322 समय 6.25 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन बुधवार, **दिनांक 17.08.2022, समय 12.45 पी.एम.**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की **दिनांक 16.08.2022 समय 04.00 पी.एम.**

4.–सूचना की किस्मः– लिखित/मौखिकः–लिखित

5–घटनास्थलः– राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठीकरवास कलां जिला राजसमन्द
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– दिशा–उत्तर बफासला 70 किलोमीटर
(ब) पता.....
.....बीट संख्या .....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना.....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– **श्री बाबूलाल**
(ब).–पिता का नाम :– श्री सोहनलाल
(स).–जन्म तिथि :– उम्र–60 वर्ष
(द).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(य).–पासपोर्ट संख्या.....–.....जारी होने की तिथि.....–.....जारी होने की जगह.....–.....
(र).–व्यवसायः– सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठीकरवास –कलां जिला राजसमन्द
(ल).–पता :– निवासी लसानी पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–.....

(1) श्री भूपेन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व. श्री चैनसिंह जी रावत जाति रावत उम्र 31 साल निवासी टॉडगढ तहसील व पुलिस थाना टॉडगढ जिला अजमेर हाल वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठिकरवास कलां तहसील भीम जिला राजसमन्द।

8.– परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारणः–कोई नही

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)
10,000/– रूपये ट्रेप राशि (दौराने मांग सत्यापन आरोपी ने परिवादी से 2,000 रूपये प्राप्त किये) कुल राशि 12,000/–रूपये

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 10,000/–रूपये ट्रेप राशि (दौराने मांग सत्यापन आरोपी ने परिवादी से 2,000 रूपये प्राप्त किये) कुल राशि 12,000/–रूपये

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....–.....

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

महोदय जी,

वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि "दिनांक 16.08.22 को समय 4.00 पीएम पर परिवादी श्री बाबूलाल पुत्र श्री सोहनलाल जीनगर उम्र 60 वर्ष निवासी लसानी पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "मै प्रार्थी मुल रूप से गांव लसानी पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमंद का रहने वाला हूं। मै वरिष्ठ अध्यापक के पद से दिनांक 31.07.2022 को रा0उ0मा0वि0 ठीकरवास कला तह0 भीम जिला राजसमन्द से सेवानिवृत्त हुआ हु। मैने मेरा पेन्शन प्रकरण ऑफ लाईन अपने स्तर पर बनवा कर दिनांक 16.05.2022 को सीबीईओ भीम ऑफिस में जमा करवा रसीद प्राप्त की। इसमें रा0उ0मा0वि0 ठीकरवास कला पर पदस्थापित वरिष्ठ सहायक श्री भूपेन्द्रपाल सिंह ने मुझे बताया कि पेंशन प्रकरण पुनः लौट कर आया है और उक्त पेंशन प्रकरण को ऑन लाईन करना है। श्री भूपेन्द्रपाल सिंह वरिष्ठ सहायक मेरे पेंशन प्रकरण को ऑन लाईन करने की एवज में मुझसे 12,000 रूपये की रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं उनको रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं। मैं उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं मेरी भूपेन्द्र पाल सिंह वरिष्ठ सहायक से कोई आपसी रंजिश नही है और ना ही कोई आपसी लेन देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करावे।" परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं दरियाफ्त से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन दिनांक 17.08.22 को कराया गया। दिनांक 17.08.22 को समय 10.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं0 117, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री सोहन सिंह प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री प्रकाश लोरा कनिष्ठ सहायक, कानि0 श्री भंवरदान नं. 414 को मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी साथ में लेकर, मय लेपटोप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स के पंचायत समिति के वाहन मय चालक के तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस अनूप सिंह, हैड कानि0 सीता नं. 233, कानि0 प्रदीप सिंह नं. 162, श्री किशनाराम कानि0 नं0 404 मय सरकारी वाहन बोलेरो आरजे 14 युबी 0338 राजसमन्द से ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हो समय करीब 11.45 एएम पर ठीकरवास पहूंचे। जंहा पर कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नं. 262 व परिवादी श्री बाबूलाल उपस्थित मिले। कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नं. 262 ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पेश किया तथा परिवादी ने मन् उप अधीक्षक को बताया कि दौराने सत्यापन आरोपी को 500–500 रूपये के 4 नोट कुल 2000 रूपये दिए। परिवादी ने उन नोटो के नंबर एक सादे कागज पर नोट किए जो मन् उप अधीक्षक को पेश किए जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मन् उप अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर ऑन कर सुना गया तो रिश्वत राशि 12000 रूपये मांगने एवं परिवादी द्वारा 2000 रूपये आरोपी को देने की पुष्टि हुई। तथा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान को भी रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता सुनायी जिस पर उन्होने भी रिश्वत राशि मांगने एवं परिवादी द्वारा 2000 रूपये आरोपी को देने की पुष्टि की। ततपश्चात परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रासायनिक प्रतिकिया करवायी गई।

परिवादी श्री बाबूलाल जीनगर को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपूर्द करते हुए हिदायत कर उसे उसकी निजी मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा उसके पीछे–पीछे ही ब्यूरो टीम के सदस्य कानि. श्री जितेन्द्र कुमार नं. 262 व श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. 117 को भी परिवादी द्वारा मोके पर उपलब्ध करवाई गई एक अन्य मोटरसाइकिल से ही रवाना किया गया। समय करीबन 12.45 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सोहन सिंह एवं श्री प्रकाश लोरा के साथ ब्यूरो टीम के सदस्य श्री प्रदीप सिंह कानि. नं. 162 को मय ट्रेप बॉक्स के वाहन बोलेरो नं. RJ 30 UA 1291 मय अनुबंधित वाहन चालक श्री किशनलाल गाडरी के मुताबिक हिदायत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठिकरवास कलां परिसर के पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम रहने हेतु रवाना किया। मन् पुलिस उप अधीक्षक अनूप सिंह मय ब्यूरो टीम के सदस्य श्रीमती सीता हैड कानि. नं. 233, श्री किशनाराम कानि. नं. 404 मय सरकारी वाहन बोलेरो नं. RJ 14 UB 0338 मय अनुसंधान सामग्री लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि के रवाना होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठिकरवास कलां परिसर के मुख्य दरवाजे से कुछ दुरी पर रूक कर वाहन को उचित स्थान पर साईड में खडा किया। वहीं पर कुछ दुरी पर ब्यूरो टीम के सदस्य श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 262 व श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. 117 तथा वाहन बोलेरो नं. RJ 30 UA 1291 में भी पुर्व से उपस्थित ब्यूरो टीम के सदस्य भी अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये खडे थे तत्पश्चात परिवादी श्री बाबुलाल जीनगर द्वारा कानि. जितेन्द्र कुमार नं. 262 के मोबाईल पर समय 12.33 पीएम पर कॉल कर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा करने के पश्चात कानि. जितेन्द्र कुमार नं. 262

के बताये अनुसार ब्यूरो टीम के सदस्य श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. 117 ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को समय 12.40 पीएम पर आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि के लेन–देन के संबंध में बताया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय ब्युरो टीम के आरोपी को भागते हुए को पकड कर रिश्वत राशि आरोपी श्री भूपेन्द्रपाल सिंह वरिष्ठ सहायक के बताये अनुसार पास ही मौजुद कंटिली झाडींयों के बीच से परिवादी श्री बाबुलाल जीनगर से ली गई रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाहान श्री प्रकाश लोरा से उठवाया गया और स्वतंत्र गवाहान श्री प्रकाश लोरा और श्री सोहन सिंह से उक्त रिश्वती राशि का मिलान पुर्व से मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी नोट में दर्ज नोटो के नम्बरो से कराने पर दोनो गवाहान ने उक्त बरामद रिश्वती राशि के नोटो के नम्बर हूबहू होना बता 500 रूपये के 19 नोट, 200 रूपये के 02 नोट तथा 100 रूपये का एक नोट कुल 10,000/–रूपये होना बताया। आरोपी के दोनों हाथों एवं पहनी हुयी जीन्स की पेन्ट के पीछे की बायी जेब को धोवण लिया जाकर शिशिया शिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री भूपेन्द्रपाल सिंह वरिष्ठ सहायक को परिवादी श्री बाबुलाल से मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त किये गये 2,000/– रूपये के बारे में पुछा गया तो आरोपी ने बताया कि "मैनें वो 2,000/– रूपये जो बाबुलाल जी से आज ही करीब 2–3 घंटे पहले लिये थे जो मैनें जरूरत होने के कारण इसी स्कुल के टीचर नवीन कुमार को कुल 5000 रूपये केश देकर उनसे मेरे खाते में ओनलाईन ट्रांसफर कराये थे। उन 5000 रूपये में से 2000 रूपये तो वहीं थे जो मैनें बाबुलाल जी से लिये थे और 3000 रूपये मेरे स्वयं के तनख्वाह के थे। जिस पर नवीन कुमार को बुलाकर 5000 रूपये नकद नोट को प्रस्तुत करने हेतु कहने पर नवीन कुमार ने 5000/– रूपये, 500–500 रूपये के 10 नोट पेश किये। जिस पर मोके पर ही उपस्थित परिवादी श्री बाबुलाल जीनगर जिसने मांग सत्यापन के दोरान आरोपी श्री भूपेन्द्रपाल सिंह को दिये गये 500–500 रूपये के 04 नोट कुल 2000 रूपये के नंबरो को अपने स्तर पर दर्ज कर मांग सत्यापन के पश्चात पुनः लोट कर आने पर मन पुलिस उप अधीक्षक को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बता कर दर्ज कराया था जिन 04 नोट 500–500 रूपये के नंबरो का मिलान उक्त नवीन कुमार अध्यापक द्वारा प्रस्तुत नोटो से मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष किया गया तो इन 10 नोट 500–500 रूपये में से 04 नोट 500 रूपये के नोटों के नंबर परिवादी द्वारा पुर्व में दर्ज कराये गये नोटो के नंबरो से हुबहुं मिलान पाये गये। इस प्रकार उक्त नोटो को नियमानुसार सफेद कागज की चिट लगाकर सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये तथा मौके पर ही शेष बचे 3000 रूपये के 500–500 रूपये के कुल 06 नोट जिनका रिश्वत राशि से कोई संबंध नहीं होने से ससम्मान परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही उक्त श्री नवीन कुमार अध्यापक को पुनः लोटाये गये तथा श्री नवीन कुमार अध्यापक ने मोके पर ही अपने मोबाईल फोन से फोन–पे एप्प के माध्यम से आरोपी श्री भूपेन्द्रपाल सिंह को ऑनलाईन ट्रांसफर किये गये कुल 5000 रूपये के संबंध में स्क्रीन शॉट की ब्लेक एण्ड व्हाइट छायाप्रति पेश की जो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी व आरोपी श्री भूपेन्द्रपाल सिंह के समक्ष ही वजह सबुत प्राप्त की जाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। परिवादी श्री बाबुलाल जीनगर के पेन्शन संबंधित कार्य को आरोपी द्वारा ऑनलाईन किये गये दस्तावेज की प्रमाणितशुदा प्रतियां तथा परिवादी के दिनांक 31.07.2022 को सेवानिवृति संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गयी। तत्पश्चात डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व आरोपी के समक्ष चालू कर मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री बाबुलाल जीनगर व आरोपी श्री भूपेन्द्रपाल सिंह वरिष्ठ सहायक ने उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता में अपनी–अपनी आवाज होना तथा इसकी पुष्टि स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की गई। परिवादी, आरोपी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रान्सकिप्ट तैयार की गई। आरोपी श्री भूपेन्द्र पाल सिंह ने अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री बाबुलाल जीनगर से उसके पेन्शन संबंधित जायज कार्य को ऑनलाईन करने की एवज में मांग सत्यापन के दौरान 12000 रूपये रिश्वत की मांग कर 2,000 रूपये रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त कर दिनांक 17.08.2022 को ही 10,000/–रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की गई। आरोपी श्री भूपेन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व. श्री चैनसिंह जी रावत उम्र 31 साल निवासी टॉडगढ तहसील व पुलिस थाना टॉडगढ जिला अजमेर हाल वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठिकरवास कलां तहसील भीम जिला राजसमन्द का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रथम

दृष्टया अपराध प्रमाणित पाये जाने से आरोपी श्री भूपेन्द्रपाल सिंह को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री भूपेन्द्रपाल सिंह वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठिकरवास कलां द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री बाबुलाल जीनगर से उसके पेन्शन संबंधित जायज कार्य को ऑनलाईन करने की एवज में मांग सत्यापन के दौरान 12000 रूपये रिश्वत की मांग कर 2,000 रूपये रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान ही ग्रहण कर दिनांक 17.08.2022 को ही 10,000/–रूपये रिश्वत राशि आरोपी श्री भूपेन्द्रपाल सिह द्वारा परिवादी श्री बाबुलाल जीनगर से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जीन्स पेन्ट की पीछे की बायीं जेब में रखे गये तथा इसी दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही की भनक लगने से आरोपी ने भाग कर रिश्वत राशि विद्यालय परिसर के पास ही कंटीली झाडीयों में फेंक दिये गये जहां से वजह सबुत रिश्वत राशि 10000 रूपये बरामद किये गये तथा दौराने मांग सत्यापन प्राप्त किये गये 2000 रूपये रिश्वत राशि भी आरोपी की निशादेही से बरामद किये गये। आरोपी भूपेन्द्र पाल सिंह की हाथ धुलाई करवाने पर दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण हल्का मटमेला, बाये हाथ के धौवण का रंग हल्का गुलाबी एवं आरोपी की पहनी हुयी जीन्स पेन्ट बरंग नीला की पीछे की बायीं जेब के धौवण का रंग गुलाबी होना आरोपी श्री भूपेन्द्रपाल सिंह अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का प्रमाणित होना पाया गया हैं।

अतः आरोपी श्री भूपेन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व. श्री चैनसिंह जी रावत उम्र 31 साल निवासी टॉडगढ तहसील व पुलिस थाना टॉडगढ जिला अजमेर हाल वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठिकरवास कलां तहसील भीम जिला राजसमन्द के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(अनूप सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजसमन्द

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनूप सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री भूपेन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व.श्री चैनसिंह, वरिष्ठ सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठिकरवास कलां, तहसील भीम, जिला राजसमंद के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 318/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

18.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 2784-88 दिनांक 18.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, उदयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद।

18.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।